



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03042023-244893
CG-DL-E-03042023-244893

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1452]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 29, 2023/चैत्र 8, 1945

No. 1452]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 29, 2023/CHAITRA 8, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2023

का.आ. 1505(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि पंजाब राज्य के जालंधर जिले में रिंग रोड के किमी 0 से किमी 23.5 और किमी 25.5 से किमी 26.6 और किमी 29.5 से किमी 46.5 तक भूमि के खंड में रिंग रोड (जिला राजस्व अधिकारी जालंधर) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला राजस्व अधिकारी जालंधर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के

पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

पंजाब राज्य के जालंधर जिले में रिंग रोड के किमी 0 से किमी 23.5 और किमी 25.5 से किमी 26.6 और किमी 29.5 से किमी 46.5 तक भूमि के खंड में रिंग रोड (जिला राजस्व अधिकारी जालंधर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: पंजाब		जिले का नाम: जालंधर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: जालंधर – I					
गांव का नाम: बमवियावली (235)					
1	39//18/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0202000(हेक्टेयर)	0.0202000
2	31//18	निजी	एग्रीकल्चर	0.1694000(हेक्टेयर)	0.1694000
3	31//21	निजी	एग्रीकल्चर	0.0202000(हेक्टेयर)	0.0202000
4	32//25	निजी	एग्रीकल्चर	0.0025000(हेक्टेयर)	0.0025000
5	39//16/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0126000(हेक्टेयर)	0.0126000
6	39//17/2/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.2782000(हेक्टेयर)	0.2782000
7	39//18/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0203000(हेक्टेयर)	0.0203000
8	39//21	निजी	एग्रीकल्चर	0.3768000(हेक्टेयर)	0.3768000
9	40//6/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0101000(हेक्टेयर)	0.0101000
10	41//3/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0430000(हेक्टेयर)	0.0430000
11	47//2	निजी	एग्रीकल्चर	0.1253000(हेक्टेयर)	0.1253000
गांव का नाम: बरसल (256)					
1	26//21/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0278000(हेक्टेयर)	0.0278000
2	32//14	निजी	एग्रीकल्चर	0.0025000(हेक्टेयर)	0.0025000
3	33//23	निजी	एग्रीकल्चर	0.0025000(हेक्टेयर)	0.0025000
4	33//25/3	निजी	एग्रीकल्चर	0.0051000(हेक्टेयर)	0.0051000

5	34//3	निजी	एग्रीकल्चर	0.0202000(हेक्टेयर)	0.0202000
6	92	सरकारी(प्रांतीय सरकार)	गैर-मुमकिन	0.0658000(हेक्टेयर)	0.0658000
7	94	निजी	गैर-मुमकिन	0.0455000(हेक्टेयर)	0.0455000
गांव का नाम: शाहपुर (146)					
1	11//6	निजी	गैर-मुमकिन प्लॉट	0.0329000(हेक्टेयर)	0.0329000
2	12//27	निजी	गैर मुमकिन टोड	0.0025000(हेक्टेयर)	0.0025000
3	33	अन्य(पंचायत)	सड़क	0.0253000(हेक्टेयर)	0.0253000
गांव का नाम: उधोपुर (257)					
1	14//16	निजी	एग्रीकल्चर	0.0303000(हेक्टेयर)	0.0303000
2	14//23	निजी	एग्रीकल्चर	0.0025000(हेक्टेयर)	0.0025000
3	15//15/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0607000(हेक्टेयर)	0.0607000
4	16//1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0177000(हेक्टेयर)	0.0177000
5	19//10	निजी	एग्रीकल्चर	0.0202000(हेक्टेयर)	0.0202000
6	20//21/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0051000(हेक्टेयर)	0.0051000
7	26//21/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0025000(हेक्टेयर)	0.0025000
8	27//1/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0051000(हेक्टेयर)	0.0051000
9	31//1/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0051000(हेक्टेयर)	0.0051000
10	95	अन्य(पंचायत)	गैर-मुमकिन	0.0051000(हेक्टेयर)	0.0051000
11	95	अन्य(पंचायत)	गैर-मुमकिन	0.0228000(हेक्टेयर)	0.0228000
कुल				1.4858	1.4858

[फा. सं. PD/PIU-JAL/JALANDHAR RING ROAD/241/2020/3A1]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th March, 2023

S.O. 1505E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of Ring Road in the stretch of land from Km. 0 to Km. 23.5 and Km. 25.5 to Km. 26.6 and Km. 29.5 to Km. 46.5 (District Revenue Officer Jalandhar), in the district of JALANDHAR in the state of PUNJAB, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, District Revenue Officer Jalandhar in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling Ring Road in the stretch of land from Km. 0 to Km. 23.5 and km 25.5 to km 26.6 and Km. 29.5 to Km. 46.5 Ring Road (District Revenue Officer Jalandhar) in the district of JALANDHAR in the state of PUNJAB

State: PUNJAB		District: JALANDHAR			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Jalandhar - I					
Village: Bambianwali (235)					
1	39//18/2	Private	Agriculture	0.0202000(Hectare)	0.0202000
2	31//18	Private	Agriculture	0.1694000(Hectare)	0.1694000
3	31//21	Private	Agriculture	0.0202000(Hectare)	0.0202000
4	32//25	Private	Agriculture	0.0025000(Hectare)	0.0025000
5	39//16/2	Private	Agriculture	0.0126000(Hectare)	0.0126000
6	39//17/2/1	Private	Agriculture	0.2782000(Hectare)	0.2782000
7	39//18/1	Private	Agriculture	0.0203000(Hectare)	0.0203000
8	39//21	Private	Agriculture	0.3768000(Hectare)	0.3768000
9	40//6/1	Private	Agriculture	0.0101000(Hectare)	0.0101000
10	41//3/1	Private	Agriculture	0.0430000(Hectare)	0.0430000
11	47//2	Private	Agriculture	0.1253000(Hectare)	0.1253000
Village: Barsal (256)					
1	26//21/2	Private	Agriculture	0.0278000(Hectare)	0.0278000
2	32//14	Private	Agriculture	0.0025000(Hectare)	0.0025000
3	33//23	Private	Agriculture	0.0025000(Hectare)	0.0025000
4	33//25/3	Private	Agriculture	0.0051000(Hectare)	0.0051000
5	34//3	Private	Agriculture	0.0202000(Hectare)	0.0202000
6	92	Government(provincial government)	Gairmumkin	0.0658000(Hectare)	0.0658000
7	94	Private	Gairmumkin	0.0455000(Hectare)	0.0455000
Village: Shahpur (146)					
1	11//6	Private	Gairmumkin Plot	0.0329000(Hectare)	0.0329000
2	12//27	Private	Gair mumkin Todh	0.0025000(Hectare)	0.0025000

3	33	Common(Panchayat)	Sadak	0.0253000(Hectare)	0.0253000
Village: Udopur (257)					
1	14//16	Private	Agriculture	0.0303000(Hectare)	0.0303000
2	14//23	Private	Agriculture	0.0025000(Hectare)	0.0025000
3	15//15/1	Private	Agriculture	0.0607000(Hectare)	0.0607000
4	16//1	Private	Agriculture	0.0177000(Hectare)	0.0177000
5	19//10	Private	Agriculture	0.0202000(Hectare)	0.0202000
6	20//21/2	Private	Agriculture	0.0051000(Hectare)	0.0051000
7	26//21/2	Private	Agriculture	0.0025000(Hectare)	0.0025000
8	27//1/1	Private	Agriculture	0.0051000(Hectare)	0.0051000
9	31//1/2	Private	Agriculture	0.0051000(Hectare)	0.0051000
10	95	Common(Panchayat)	Gairmumkin	0.0051000(Hectare)	0.0051000
11	95	Common(Panchayat)	Gairmumkin	0.0228000(Hectare)	0.0228000
Total				1.4858	1.4858

[F. No. PD/PIU-JAL/JALANDHAR RING ROAD/241/2020/3A1]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.